RBE NO.48/2010

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No.E(D&A) 2009 RG 6-45 New Delhi, dated: 31.3.2010

The General Manager (P),
All Indian Railways and
Production Units etc.,
(As Per Standard List).

Sub: Penalty of Withholding of Increments imposed under V^{th} Central Pay Commission scales and operated as per VIth Central Pay Commission Scales effective from 1.1.2006

Attention is invited to Board's letters No.E(D&A) 78 RG 6-17 dated 29.7.1978 and No.E(D&A) 90 RG 6-109 dated 19.9.90. In terms of these instructions, issued in the context of implementation of III^{rd} and IV^{th} Pay Commission scales respectively, it was advised that the Appellate/Revising Authority, may, while considering the appeal/revision application submitted against the penalty of withholding of increments take into account the quantum of financial loss that would be sustained by the railway servant in the preceding pay scale and the greater monetary loss that would result/has resulted on re-fixation in the new Pay Commission scale and accordingly reduce or modify the penalty imposed.

Board have considered the matter further in the light of implementation of VI^{th} Central Pay Commission scales from 1.1.2006 and desire that the Appellate/Revising Authorities while considering the appeal/revision petition against the penalty of withholding of increments imposed under the V^{th} Central Pay Commission scales and continuing on 1.1.2006 or imposed/effected between 1.1.2006 and 4.9.2008 that is, the date on which the VIth Central Pay Commission Scales were notified on Railways, may also take into account the greater monetary loss that would be sustained by the appellant/petitioner on account of refixation of his pay under the VIth Central Pay Commission Scales from 1.1.2006 and take a suitable decision regarding the quantum of the penalty.

Sd/-
(Harish Chander)
Dy.Director Establishment(D&A)
Railway Board

आरबीई सं. 48/2010

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए) 2009 आरजी 6-45 नई दिल्ली, दिनांक: 31.03.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अंतर्गत लगाया गया वेतनवृद्धि रोकने का दंड 01.01.2006 से प्रभावी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार परिचालित करना।

बोर्ड के दिनांक 29.07.1978 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 78 आरजी 6-17 तथा 19.09.1990 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 90 आरजी 6-109 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्रमशः तीसरे तथा चौथे वेतन आयोग के वेतनमानों के कार्यान्वयन के संदर्भ में जारी किए गए इन अनुदेशों के अनुसार, यह परामर्श दिया गया था कि अपीलीय/पुनरीक्षा प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने के दंड के विरूद्ध की गई अपील/पुनरीक्षा आवेदन पर विचार करते समय रेलवे कर्मचारी द्वारा पूर्ववर्ती वेतनमान में उठाई जाने वाली वित्तीय हानि तथा नए वेतन आयोग के वेतनमान में पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली अधिक आर्थिक हानि की मात्रा को ध्यान में रखें तथा तदनुसार लगाए गए दंड को कम अथवा आशोधित करें।

बोर्ड ने 01.01.2006 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आगे विचार किया है तथा वांछा की है कि अपीलीय/पुनरीक्षा प्राधिकारी पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अंतर्गत लगाए गए वेतनवृद्धि रोकने के दंड जो 01.01.2006 को लागू थे अथवा 01.01.2006 तथा 04.09.2008 अर्थात् उस तारीख को जब रेलों पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान अधिसूचित किए गए थे, के बीच लगाए गए थे, के विरुद्ध की गई अपील/पुनरीक्षा याचिका पर विचार करते समय 01.01.2006 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अंतर्गत वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण अपील/याचिका करने वाले द्वारा उठाई जाने वाली अधिक हानि को भी ध्यान में रखें तथा दंड की मात्रा के संबंध में उपयुक्त निर्णय लें।

ह०/-
(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक, स्था (अनु. एवं अपील)